जुगलपुरा

16-10-2022

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट मुकदमा नम्बर 13/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18.10.2022	पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम जुगलपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 373 रकबा 4.85 हैक्टर किस्म बंजड़ व खसरा नम्बर 1595 रकबा 13.10 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड़ वर्तमान में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। जिसमें खसरा नम्बर 373 व 1595 ऑनलाईन नक्शा व नक्शा ट्रेस लट्टा के सही है। ऑन लाईन नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 373 की उत्तरी सीमा व खसरा नम्बर 1595 की पूर्वी सीमा सही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार मुताबिक नक्शा ट्रेस मे प्रस्तावित शुद्धिकरण खसरा नम्बर 373, 1595 मे प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार संशोधन करवाने हेतु निवेदन किया है। पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा के प्राप्त हुई है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वार्ता की जाकर जानकारी प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मौखिक वार्ता एंव पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एंव मनन किया। जिससे पटवारी हल्का [illegible] किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.10.28 16:38:00 IST Reason: SelfAttested अतः पटवारी [illegible] तंवरान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट [illegible] न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता हैं तथा पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव के सलंग्न प्रस्तावित नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शित अनुसार ग्राम जुगलपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1595 व 373 के रकबे की सीमाओं का प्रस्तावित लाल स्याही अनुसार सीमाऍं दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 18/7/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.28 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested